

OFFICE OF THE RESIDENT ENGINEER RAJASTHAN HOUSING BOARD

(A State Government Enterprise constituted under RHB Act 1970)

Division Office: C- 289-290 R.K. COLONY , BHILWARA – 311001, Rajasthan, INDIA

Telephone: 01482-220312, 297512; e-mail ID: rebhilwara.rhb@rajasthan.gov.in; Website: rhbonline.rajasthan.gov.in

क्रमांक :1073.....

दिनांक :21/..... / ...01..... / 2022

आवश्यक सूचना


आवास नंबर आवंटन हेतु लॉटरी


राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति निस्तारण अधिनियम 1970 के विभिन्न प्रावधानों के अन्तर्गत शाहपुरा, जिला – भीलवाड़ा के नवीन पंजीकरण योजना वर्ष 2020 के आर्थिक दृष्टि से कमजोर आयवर्ग के 148 एवं अल्प आयवर्ग के 24 पंजीकृत प्रतिक्षारत योग्य आवेदक जिन्होंने देय पूर्व ग्रहण राशि जमा करा दी है तथा आवास संख्या आवंटित होना शेष है को लॉटरी के माध्यम से आवास संख्या आवंटन निम्न कार्यक्रम के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।

क्र. सं.	कार्यवाही विवरण	दिनांक/समय
1	योग्य/अयोग्य आवेदकों की पूर्णतया अस्थायी सूची का प्रदर्शन (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	02-02-2022 सायं 5.00 बजे
2	अस्थायी सूची पर आक्षेप प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि	08-02-2022 सायं 3.00 बजे तक
3	आक्षेप प्राप्ति के बाद योग्य आवेदकों की अंतिम स्थायी सूची का प्रदर्शन (कार्यालय नोटिस बोर्ड एवं बोर्ड वेबसाइट)	09-02-2022 सायं 4.00 बजे
4	लॉटरी की कार्यवाही (जिला आवंटन समिति की बैठक)	11-02-2022 दोपहर 02.00 बजे

लॉटरी का स्थान :- कार्यालय आवासीय अभियंता, सी - 289- 290, आर. के. कॉलोनी, भीलवाड़ा में ऑनलाईन कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा की जायेगी।

अतः योजना से सम्बन्धित समस्त आवेदक जिनको इस कार्यालय द्वारा पूर्व में ही आरक्षण पत्र जारी कर पूर्वग्रहण राशि (सीडमनी) जमा कराने हेतु सूचित किया जा चुका है उन सभी आवेदकों को पुनः सूचित किया जाता है यदि आपने पूर्व ग्रहण राशि की किश्ते जमा करा दी हो तो चालान की प्रति/अथवा नहीं जमा कराई हो तो दिनांक 08-02-2022 तक बकाया पूर्व ग्रहण राशि मय जीएसटी जमा कराकर चालान की प्रति इस कार्यालय में दिनांक 08-02-2022 को अपरान्ह 3:00 बजे तक प्रस्तुत कर दें। अन्यथा आवास आवंटन लॉटरी में शामिल होने से वंचित रहने पर राजस्थान आवासन मण्डल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। उक्त कार्यवाही से सम्बन्धित व अन्य प्रकरणों हेतु जिला आवंटन समिति (राजस्थान आवासन मण्डल) के द्वारा लिये गये निर्णय अंतिम एवं मान्य होंगे। अन्य संबंधित जानकारी के लिये आवासीय अभियंता भीलवाड़ा के कार्यालय में अथवा फोन नं. 01482-220312, 297512 पर सम्पर्क किया जा सकता है तथा मण्डल की वेबसाइट <https://urban.rajasthan.gov.in/rhb> पर भी देखी जा सकती है।


आवासीय अभियंता
खण्ड-भीलवाड़ा


उप आवासन आयुक्त
वृत्त-उदयपुर